

**पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में
2017 का आपराधिक विविध सं. 2303**

थाना मामला सं.- 55 वर्ष - 2007 थाना-कुटुम्बा जिला-औरंगाबाद से उत्पन्न

=====

1. महेन्द्र सिंह, पुत्र- केशव सिंह
2. उपेंद्र सिंह, पुत्र- केशव सिंह
3. शालेंद्र सिंह @गुड्डू सिंह, पुत्र- केशव सिंह के
4. सावित्री देवी, पत्नी-केशव सिंह, निवासी- सभी गाँव- सिमरी खुर्द थाना- कुटुम्बा, जिला- औरंगाबाद।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. प्रेमशिला मुस्मत, पत्नी-स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह @बबलू सिंह, निवासी-गांव- सिमरी खुर्द, थाना- कुटुम्बा, जिला-औरंगाबाद

..... विपरीत पक्ष/ओं

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	सुश्री लीलावती कुमारी, अधिवक्ता श्री अमन विशाल, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री अरुण कुमार सिंह-5, एपीपी

=====

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973---धारा 482---भारतीय दंड संहिता---धारा 304, 498 ए, 34---
आईपीसी की धाराओं 304 और 498 ए, 34 के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के आदेश को
रद्द करने की याचिका---याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ओ.पी. संख्या 2 के पति की गैर
इरादतन हत्या करने का आरोप है---याचिकाकर्ता जो ओ.पी. संख्या 2 के ससुराल वाले हैं,
कथित तौर पर दहेज की मांग के लिए उसे प्रताड़ित करते थे, जिसका उसके पति द्वारा
विरोध किया जा रहा था और आरोपी मांग पूरी न होने के कारण उसके और उसके पति के

साथ मारपीट करते थे---निष्कर्ष: हालांकि वर्तमान मामले में, ओ.पी. संख्या 2 द्वारा मुख्य घटना के कमीशन से चार महीने की अत्यधिक देरी के बाद शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन शिकायत में ही ओ.पी. संख्या 2 ने देरी का कारण बताया था--- ऐसा मामला जो किसी ग्रामीण पुरुष या महिला द्वारा दायर की गई शिकायत पर आधारित है, न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस प्रकार की शिकायत पर विचार करते समय सतर्क रहना चाहिए, यदि उसका समर्थन किसी हलफनामे से नहीं किया गया है तो शिकायतकर्ता से शिकायत में उल्लिखित अपने आरोपों के समर्थन में हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए --- प्रक्रियागत खामियां किसी अपराध को उजागर होने से रोक सकती हैं यदि गंभीर अपराधों के किए जाने का विवरण देने वाली शिकायत को हलफनामा दाखिल न करने के कारण प्रारंभिक चरण में खारिज कर दिया जाता है, और ग्रामीण शिकायतकर्ता को ऐसी प्रक्रियागत खामियों को दूर करने का अवसर नहीं दिया जाता --- शिकायत के साथ हलफनामा दाखिल करने का उद्देश्य किसी को तुच्छ शिकायत दर्ज करने से रोकना है, जो ऐसी शिकायत को जांच के लिए पुलिस को भेजने के अनुरोध के साथ दर्ज करता है --- याचिकाकर्ता कथित अपराधों से दोषमुक्त होने के हकदार नहीं हैं, जिनका संज्ञान उनके मामले के प्रारंभिक चरण में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा कथित अपराधों के लिए मुकदमे का सामना किए बिना लिया गया है --- याचिका खारिज। (पैरा 5)

(2015) 6 एससीसी 287

..... संदर्भित।

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

सीएवी निर्णय

तारीख: 05-02-2025

याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील सुश्री लीलावती कुमारी और राज्य के लिए विद्वान एपीपी श्री अरुण कुमार सिंह-5 को सुना।

2. तत्काल याचिका विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट- प्रथम श्रेणी, औरंगाबाद की अदालत द्वारा पारित दिनांक 25.03.2015 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसमें विद्वान मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 34 के साथ धारा 304 और 498 ए के तहत याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लिया जो आरोप पत्र के आधार पर लिया गया, जो कि 2007 के कुटुम्बा थाना मामला संख्या 55 की जांच के बाद दायर किया गया था।

3. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा आदेश को चुनौती देने के लिए मुख्य आधार यह है कि वि. पक्ष सं. 2 द्वारा अपनी शिकायत में उठाए गए संदेह को छोड़कर, जो जांच के लिए पुलिस को भेजी गई थी, आरोपों के समर्थन में कुछ भी नहीं है और वि. पक्ष सं. 2 द्वारा दायर शिकायत के सरसरी अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पहली कथित घटना 10.05.2007 को हुई थी, लेकिन शिकायत 13.09.2007 पर चार महीने से अधिक की देरी के बाद दर्ज की गई थी, वास्तव में, वि. पक्ष सं. 2, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह @बबलू सिंह की पत्नी के मृत्युंजय नामक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे इस कारण से, मृतक (वि. पक्ष सं. 2 के पति) ने स्वयं जहर खा लिया और इस संबंध में, केस डायरी के पैराग्राफ संख्या 10, 11, 12, 13 और 15 में उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण गवाहों के बयान प्रासंगिक हैं और उक्त बयानों के सभी गवाहों ने आरोपों का समर्थन नहीं किया, वास्तव में, सह-आरोपी, सावित्री

देवी, जो अब नहीं हैं, ने वि. पक्ष सं. 2 और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मृतक की हत्या करने के आरोपों के साथ शिकायत दर्ज करके प्राथमिकी दर्ज की और उक्त मामले में जांच अभी भी लंबित है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता सं 1, 2 और 3 मृतक के सगे भाई और वि. पक्ष सं. 2 के बहनोई हैं। वह आगे प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता नं. 4 के निधन के कारण उसकी प्रार्थना निष्फल होने के कारण उसे पहले ही वापस ले लिया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने आगे तर्क दिया है कि अभियोजन का मामला कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक उदाहरण है और इसे याचिकाकर्ताओं को परेशान करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से शुरू किया गया है, इसलिए, तत्काल मामला **हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य 1992 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 335** में रिपोर्ट किया गया के मामले में वर्णित श्रेणियों में से एक के अंतर्गत आता है।

याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा लिया गया दूसरा महत्वपूर्ण आधार **प्रियंका श्रीवास्तव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य (2015) 6 एस. सी. सी. 287** में रिपोर्ट किया गया के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का पालन न करना है और इस संबंध में, उन्होंने पैराग्राफ सं 23 और उसके बाद के पैराग्राफ और इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध सं. 17247/2017 और 2017 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 214 में पारित दो फैसलों पर भरोसा किया है जिसमें **प्रियंका श्रीवास्तव (ऊपर)** मामले का पालन किया गया जिसमें शिकायत के साथ शिकायतकर्ता के शपथ पत्र की आवश्यकता का सिद्धांत निर्धारित किया गया है।

4. दूसरी ओर, श्री अरुण कुमार सिंह-5, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एपीपी ने इस याचिका का जोरदार विरोध किया है और कहा है कि मृतक, वि. पक्ष सं. 2 के पति सुरेंद्र सिंह उर्फ बबलू सिंह पर याचिकाकर्ताओं द्वारा हमला किया गया था, उस घटना को वि. पक्ष सं. 2 ने देखा था और जाँच के दौरान अपनी शिकायत में उसके द्वारा लगाए गए आरोपों का पूरी तरह से समर्थन किया और पुलिस ने आरोपों को सच पाया, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कथित

अपराधों के साथ आगे बढ़ने के लिए केस डायरी में पर्याप्त सामग्री है और कथित अपराधों का संज्ञान विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उचित रूप से लिया गया है और आदेश में कोई अवैधता नहीं है।

5. दोनों पक्षों को सुना और विवादित आदेश के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक सामग्रियों का अध्ययन किया। वि. पक्ष सं. 2 मृतक सुरेंद्र सिंह उर्फ बबलू सिंह की पत्नी है और उनके द्वारा याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी जिसे जांच के लिए भेजा गया था। वि. पक्ष सं. 2 द्वारा अपनी शिकायत में लगाए गए आरोपों के अनुसार, उसकी शादी दस साल पहले हुई थी और एक बेटी, प्रीति कुमारी का जन्म सुरेंद्र सिंह उर्फ बबलू सिंह (मृतक) और उसके वैवाहिक संबंध से हुआ था और शादी के बाद, याचिकाकर्ता जो उसके ससुराल वाले हैं, ने दहेज में 1,00,000- रुपये की मांग के लिए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया जिसका उसके पति द्वारा विरोध किया जा रहा था और आरोपी मांग को पूरा न करने के कारण उसके और उसके पति के साथ दुर्व्यवहार करता था। वि. पक्ष सं. 2 ने आगे आरोप लगाया कि 10.05.2007 को जब उसने अपने पति से उसे अपने माता-पिता के घर ले जाने का आग्रह किया ताकि वह अपने भाई के विवाह समारोह में भाग ले सके तो उसके पति ने फोन के माध्यम से उसके भाई को सूचित किया और उसे वि. पक्ष सं. 2 के ससुराल, अपने घर आने के लिए कहा, ताकि वह उसे अपने साथ अपने घर ले जा सके। वि. पक्ष सं. 2 के अनुसार, 13.05.2007 को, वह अपने पति के साथ अपने नैहर जाने के लिए तैयार हो गई, फिर अचानक, आरोपी व्यक्तियों (याचिकाकर्ताओं) ने उसको बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया और उस दौरान, वि. पक्ष सं. 2 की सास, जो अब नहीं हैं, ने वि. पक्ष सं. 2 के पति के पेट में चाकू से वार किया और उसके बाद उनके द्वारा उसके साथ भी मारपीट की गई, उसे और उसकी बेटी को आरोपी द्वारा एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। वि. पक्ष सं. 2 के अनुसार, कथित हमले की घटना के उसी दिन उसके पति की चोटों से मृत्यु हो गई और उसे और उसकी बेटी को आरोपी द्वारा कथित घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई, जिसके कारण दोनों घबरा गए और

आरोपी ने उसे शराब पीने के कारण अपने पति की मौत का कारण ग्रामीणों को बताने के लिए कहा। वि. पक्ष सं. 2 ने आगे आरोप लगाया कि उसके पति के शव का आरोपी ने ग्रामीणों की मदद से अंतिम संस्कार किया और दाह संस्कार के अगले दिन, उसके भाई, अशोक सिंह और चचेरे भाई, कृष्ण सिंह उसे लेने आए और उस समय, वि. पक्ष सं. 2 के ससुर और सास ने उन्हें शराब पीने के कारण उसके पति की मृत्यु के बारे में बताया और उन्हें शव के अंतिम संस्कार के बारे में भी बताया और उसे पति की मृत्यु के बाद सदमे में बेहोश दिखाया, जिससे उसके भाई वापस लौट गए क्योंकि उसके भाइयों के घर में शादी समारोह था, वि. पक्ष सं. 2 ने आगे आरोप लगाया कि उसके पति की हत्या के बाद, आरोपी ने उसे *डायन* कहकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और उसके गहने और कपड़े छीनने के बाद उसे और उसकी बेटी को 10.09.2007 को घर से बाहर निकाल दिया, इसके बाद, उसने अपने भाई और पिता को पूरी घटना के बारे में सूचित किया। जाँच के दौरान, पुलिस ने वि. पक्ष सं. 2 का पुनर्कथन दर्ज किया जिसमें उसने अपनी शिकायत में लगाए गए आरोपों का पूरा समर्थन किया। कुछ अन्य गवाहों ने वि. पक्ष सं. 2 के पति की अप्राकृतिक मौत का खुलासा किया और एक गवाह अनंत सिंह ने कहा कि घटना की तारीख को उसने मृतक को उसकी मां द्वारा दुर्व्यवहार करते देखा और उस दौरान उसने अपने बेटे पर डंडा के माध्यम से हमला करना शुरू कर दिया और फिर आरोपी महेंद्र सिंह और गुड्डू सिंह दौड़ते हुए आए और वि. पक्ष सं. 2 के पति पर मुट्ठी और थप्पड़ मारकर हमला करना शुरू कर दिया। गवाह ने आगे कहा कि उसने मृतक को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसे धमकी दी और उसके अनुसार, उसने आरोपी के घर के अंदर से मृतक के रौने की आवाज सुनी। हालांकि वर्तमान मामले में, शिकायत वि. पक्ष सं. 2 द्वारा मुख्य घटना के होने से चार महीने की अत्यधिक देरी के बाद दायर की गई थी, लेकिन शिकायत में ही वि. पक्ष सं. 2 ने देरी के कारण का खुलासा किया, हालाँकि, सबूत लेने के बाद निचली अदालत द्वारा इसकी जांच की जानी है। हालांकि, तीन बातें पूरी तरह से स्पष्ट हैं, पहला, वि. पक्ष सं. 2 के पति की एक अप्राकृतिक मौत हुई, दूसरा, मृतक के शव का पुलिस को जानकारी

दिए बिना अंतिम संस्कार किया गया और तीसरा, कथित घटना की प्रासंगिक अवधि के दौरान वि. पक्ष सं. 2 और याचिकाकर्ताओं के बीच कोई अच्छे संबंध नहीं थे। याचिकाकर्ताओं ने बचाव पक्ष लिया है कि मृतक की मां ने वि. पक्ष सं. 2 और अन्य के खिलाफ अपने बेटे की हत्या के आरोप के साथ 2007 का कुटुम्बा थाना मामला सं. 50 08.09.2007 को पर दायर किया था और उक्त प्राथमिकी की प्रति भी याचिका के साथ अनुलग्नक-2 के रूप में दायर की गई है। हालाँकि, वि. पक्ष सं. 2 ने 2007 के कुटुम्बा थाना मामला सं. 50 के पंजीकरण के बाद अपना शिकायत मामला दर्ज किया, लेकिन एक बात यह भी स्पष्ट है कि यदि वि. पक्ष सं. 2 और अन्य लोगों द्वारा स्वर्गीय सावित्री देवी के बेटे के साथ कुछ गलत किया गया था, तो याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित हत्या के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जो याचिकाकर्ताओं के वकील के अनुसार, 2007 के कुटुम्बा थाना मामला सं. 50 में जांच अभी भी लंबित है, इसलिए केवल वि. पक्ष सं. 2 की शिकायत दर्ज करने से पहले 2007 का कुटुम्बा थाना मामला सं. 50 के पंजीकरण से, वि. पक्ष सं. 2 के मामले को प्रारंभिक चरण में पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से, जब पुलिस को वि. पक्ष सं. 2 द्वारा लगाए गए आरोपों में तथ्य मिला हो और उसने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कथित अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया हो। जहां तक वि. पक्ष सं. 2 द्वारा अपनी शिकायत के साथ शपथ पत्र दाखिल न करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **प्रियंका श्रीवास्तव (उपरोक्त)** के मामले में निर्धारित सिद्धांत का पालन न करने का सवाल है, यद्यपि उक्त सिद्धांत का पालन वि. पक्ष सं. 2 द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा, वि. पक्ष सं. 2 की शिकायत पर विचार करते हुए और पुलिस द्वारा इसकी जांच करने का निर्देश देते समय भी कुछ लापरवाही बरती क्योंकि एक मामले में जो एक ग्रामीण पुरुष या महिला द्वारा दायर शिकायत पर आधारित है, इस प्रकार की शिकायत पर विचार करते समय न्यायिक मजिस्ट्रेट को सतर्क बने रहना चाहिए यदि इसका समर्थन हलफनामे के साथ नहीं किया जाता है तो शिकायतकर्ता को शिकायत में उल्लिखित अपने आरोपों के समर्थन में एक हलफनामा प्रस्तुत

करने के लिए कहा जाना चाहिए। चूंकि, ऐसी प्रक्रियात्मक खामियां किसी अपराध का पता लगाने से रोक सकती हैं यदि गंभीर अपराधों के होने का विवरण देने वाली शिकायत को प्रारंभिक चरण में हलफनामा दाखिल न करने के कारण खारिज कर दिया जाता है, बिना किसी ग्रामीण शिकायतकर्ता को ऐसी प्रक्रियात्मक खामियों को दूर करने का अवसर दिए। इसके अलावा, शिकायत के साथ एक हलफनामा दायर करने का उद्देश्य किसी को तुच्छ शिकायत दर्ज करने से रोकना है जो इस तरह की शिकायत दर्ज करता है और उसे जांच के लिए पुलिस को भेजने की प्रार्थना करता है। और वर्तमान मामले में, उपरोक्त चर्चा की गई परिस्थितियों की उपस्थिति के मद्देनजर अभियोजन पक्ष के आरोप के पक्ष में जाने पर, शुरू में ही अभियोजन पक्ष के मामले को अस्वीकार करना उचित नहीं होगा, जो जघन्य अपराधों से संबंधित है। तदनुसार, याचिकाकर्ता उन कथित अपराधों से मुकदमे का सामना किए बिना दोषमुक्त होने के हकदार नहीं हैं, जिनका संज्ञान विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रारंभिक चरण में लिया गया है और 2017 के आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 214 और 2017 के आपराधिक विविध सं. 34406 से संबंधित मामलों के तथ्य और परिस्थितियां जिनमें **प्रियंका श्रीवास्तव (ऊपर)** के मामले में जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांत पर चर्चा की गई है अभियुक्त/याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए इस न्यायालय की विद्वत समन्वय पीठ ने देते समय पालन किया गया था वह वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पूरी तरह से अलग हैं। तदनुसार, यह न्यायालय वर्तमान मामले में कोई योग्यता नहीं पाता है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

मायनाज़/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।